

आदेश पत्रक
(देशी अभिलेख हस्तक, 1941 का निम्न 129)

21/11/16

पत्रक नं. से तक
सं. पृ. 200

प्रकार दायित्व खारिज वार सं. **32/2016-17**

क्र. को क्र. सं. दिधि 12/5/16	आदेश और परामर्शकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर ही मई कार्यवाही के बारे में दिखानी, कठिन प्रतिनि 3
---	--	--

श्री **अशोक मिश्रा** पिता
 श्री **ए.के. अग्रवाल** पिता सा. **अशोक मिश्रा**
 अंचल देवरी, जिला गिरिडीह द्वारा निम्नांकित ब्यारे की
 जमान के राखिल खारिज हेतु आवेदन पत्र दिया गया है।
 आवेदित जमान श्री **अशोक मिश्रा** पिता **अशोक मिश्रा**
 पिता श्री **ए.के. अग्रवाल** पिता **ए.के. अग्रवाल**
 अंचल **देवरी** के इजारे केवाला नं. **3564**
 दिनांक **12/11/13** द्वारा क्रय किया गया है।
 ग्राम याना नं. **खाना** नं. **प्लॉट** नं. **रकबा**
अग्री. 130 **4** **19** **364**

गोपनीय हेतु पाया।
अ.के.

पंजी 27 में दर्ज कर आम इस्तिहार निर्गत करे।
 हत्का राजस्व कर्मचारी आवेदन पत्र का स्थानीय ऑच कर
 ऑच प्रतिवेदन अं. नि. के माध्यम से उपस्थापित करे।
 अभिलेख दिनांक को उपस्थापित करे।

लेखापति

अंचल अधिकारी
देवरी


अंचल अधिकारी
देवरी

316116


अभिलेख स्थापित किया गया। आर इस्तरा निर्दिष्ट किया गया। सम्पत्ति प्रतिवेदन प्रेषित है, जिसमें न कोई अपवाद नहीं दिखे है। ह. कर्म. / अ. नि. का बीच प्रतिवेदन देखें। इसमें प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत जमीन स्थली ग. छार / बकसत खाने की है। जिसकी बयाद-दी पंजी 11 के फूट सं. 3.6.1 पर दर्ज है एवं विक्रेता के नाम अशोक चन्द अशोक चन्द के नाम से कायम है। जमीन भूदान भूदानकारी बन सीमा एवं स्थिति में बदल है। जमीन पर क्रेता का शांतिपूर्ण दखल है। अर्थात् भूमि के नामांतरण हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतः ह. कर्म. एवं अ. नि. के बीच प्रतिवेदन के आधार पर निर्णयित विवरण की भूमि का नामांतरण क्रेता

नाम/व्यक्ति अशोक चन्द का. अशोक चन्द का. पित्त/पत्नी एगो का. अशोक चन्द का. के नाम से 410 रकबा रकबा का. रकबा का. प्राप्त है।

अशोक चन्द 4 19 3677 (50) 2.00
1.70

संबंधित सहायक नदनुसार ग्रांट पर निर्मित करें

सहायक 

अंशक अधिकारी
देवरी



अंशक अधिकारी
देवरी

एक प्रति प्राप्त किया
अशोक चन्द
K.C.

ग्रांट पर निर्मित किया गया। हस्ता कार्यकारी एवं सहायक के अन्ध अनुपालन प्रतिवेदन है।



अंशक अधिकारी
देवरी